

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 676/2025

Jagdish Singh S/o Late Ramjilal,

----Appellant

Versus

Sahab Singh S/o Thandi Singh

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Girish Khandelwal

For Respondent(s) : Mr. Sanjay Joshi

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

28/01/2026

यह सिविल प्रथम अपील अपीलार्थी/प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत रकम वसूली स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध में मूल 5,60,000/- रुपये एवं बयाज 2,55,360/- रुपये, कुल 8,15,360/- रुपये की डिक्री पारित की गई है।

अपील की ग्राहता के संबंध में सुना गया।

अपील सुनवाई के लिए ग्राह्य की जाती है। नोटिस जारी हो।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हैं, अतः प्रत्यर्थी को आपचौरिक नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 1609/2025 पर सुना गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में **सम्पूर्ण** डिक्रीशुदा राशि **आठ सप्ताह** की अवधि में जमा करवाये जाने की शर्त पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की क्रियान्विति स्थगित की जाती है।

इस आदेश की पालना में अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा आदेशित राशि जमा कराने पर जमाशुदा राशि की **पचास प्रतिशत (50%) राशि** प्रत्यर्थी-वादी को इन तथ्यों का वचन (Undertaking) प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि अपीलार्थी इस

अपील में सफल होते हैं, तो उस स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः अपीलार्थी को **6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज** दर के साथ अपील के निर्णय के **आठ सप्ताह** की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे।

शेष पचास प्रतिशत (50%) राशि, प्रथमतः **एक वर्ष** के लिये किसी राष्ट्रीकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी तथा तत्पश्चात अपील के निस्तारण तक नियमानुसार उसका समय-समय पर नवीनीकरण (auto-renewal) कराया जाए। इस न्यायालय के आदेश के बिना उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J